



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230399
CG-DL-E-14102021-230399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3897]
No. 3897]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

का.आ. 4244(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, दिनांक 09.08.2021 (सोमवार) से ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के लोकेशन को निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित स्थान से कॉलम 3 में उल्लिखित स्थान में परिवर्तित किए जाने संबंधी निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है :-

तालिका

अधिकरण का नाम	स्थान जहाँ पर अधिकरण कार्य कर रहा था	स्थान जहाँ पर अधिकरण कार्य करेगा
1	2	3
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर (डीआरटी)	एसएफई 3/4, नेहरू प्लेस टोन्क रोड, जयपुर	प्रथम तल, सुधर्मा-II, लाल कोठी शौपिंग सेंटर, टोन्क रोड, जयपुर-302015

[फा. सं. 23/01/2014-डीआरटी]

एम. जी. जयश्री, उप महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

S.O. 4244(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby notifies the following change in the location of Debts Recovery Tribunal Jaipur with effect from 09-08-2021 (Monday) from the place mentioned in Column 2 to the place mentioned in column 3 in the Table below:—

TABLE

Name of the Tribunal	Place where the Tribunal was functioning	Place at which the Tribunal will function
1	2	3
Debts Recovery Tribunal Jaipur (DRT)	SFE 3/4, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur	First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015.

[F. No. 23/01/2014-DRT]

M. G. JAYASREE, Dy. Director General